



२५०/।।

प्रकाश 2286709

22/08/2011

४३ लेहना केन्द्र, १० अशोक नगर, नईदिल्ली-२२०००१

राज्य नगरीय विकास अभियान, उ.प्र.

पत्रक : १९८३ /०५/७६ /एक/ २०१५-१६
संखा में,

दिनांक : ८ अगस्त 2015

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभियान
जनपद-हस्ती।

विषय : वित्तीय वर्ष 2015-16 में सूडा द्वारा आपके जनपद (दुड़ा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य वस्तियों तथा नलिन वस्तियों में स्थीकृत परियोजनाओं की घनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभियान द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वस्तियों तथा नलिन वस्तियों में इण्टरलाइंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-३७/८३) में गिम्नलिखित विदरण के अनुसार घनराशि अप्रमुकता कर दी गई है।

घनराशि का प्रेषण (लाख रु० में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	घनराशि
एक्सिस बैंक	915010021963517	IFSC Code UTIB0000855	268.178
(घनराशि लाख रु० में)			

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/नलिन	निकाय का नाम	हस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम/द्वितीय छिक्की की घनराशि का प्रेषण
1	बस्ती	अल्पसंख्यक-३७ वजट-१ किश्त	न०पा०७० बस्ती	मु० विशुनपुरवा में अवधु मासूक अली के घर से पंकज, शीला, राजन व अन्य के घर तक इण्टरलाइंग सङ्क एवं नाली निर्माण कार्य।	17.047
2	बस्ती	अल्पसंख्यक-३७ वजट-१ किश्त	न०पा०७० बस्ती	मु० विशुनपुरवा में इशरत अली के घर से महबूब व अन्य के घर तक इण्टरलाइंग सङ्क एवं नाली निर्माण कार्य।	13.991
3	बस्ती	अल्पसंख्यक-३७ वजट-१ किश्त	न०पा०७० बस्ती	मु० विशुनपुरवा में एधूखान, राम प्रसाद के घर होते हुये रमेश, ठी०एन० व बेलवाड़ा घीराह तक इण्टरलाइंग सङ्क व दोनो तरफ नाली निर्माण कार्य।	17.167
4	बस्ती	अल्पसंख्यक-३७ वजट-१ किश्त	न०पा०७० बस्ती	मु० बेलवाड़ा घीराह में हसरत उमर गार्टेसरी स्कूल के सामने से होते हुये सरिंजद से बबू के घर तक इण्टरलाइंग सङ्क एवं नाली निर्माण कार्य।	15.592
5	बस्ती	अल्पसंख्यक-३७ वजट-१ किश्त	न०पा०७० बस्ती	मु० बेलवाड़ा घीराह में अली हरान के घर से अलीउल्लाह शिद्दीकी के घर तक इण्टरलाइंग सङ्क एवं नाली निर्माण कार्य।	15.708
6	बस्ती	अल्पसंख्यक-३७ वजट-१ किश्त	न०पा०७० बस्ती	मु० बेलवाड़ा घीराह में डाँ० मिहाल के घर से गार्टेसरी होते हुये गाहिद के घर तक इण्टरलाइंग सङ्क एवं नाली निर्माण कार्य।	17.047
7	बस्ती	अल्पसंख्यक-३७ वजट-१ किश्त	न०पा०७० बस्ती	बार्ड न० १९ मु० बेलवाड़ा घीराह में चारी-ना पर्वीन के मकान से जावेद निजामी के मकान तक इण्टरलाइंग सङ्क एवं नाली निर्माण कार्य।	3.599
8	बस्ती	अल्पसंख्यक-३७ वजट-१ किश्त	न०पा०७० बस्ती	बार्ड स० ११, मौ० रीतापार में कल्याना श्रीवास्तव के मकान से बादशाह गैरिज हाल तक एवं घौपरी के घर से सोनू शिंगांगी एवं अन्य के घर तक इण्टरलाइंग सङ्क एवं नाली निर्माण कार्य।	12.007
9					



५०८२

दस्तावेज़ - 2799709
2286710

नव देशपाल कंट्रोल अधीक्षण भवन, सत्रापा 226001

राज्य नगरीय विकास अभियान, उ.प्र.

प्राप्ति का नाम	प्राप्ति का मूल्य	प्राप्ति का वर्णन	प्राप्ति का नाम	प्राप्ति का मूल्य
महान बड़ी ३३ बजट-II विभ	१४,०६४	वाई स० ११, २०० रुपयार मे गहराइ एवं रुपयार के घर होते हुए राजताल एवं ऊचे के घर एवं इन्टरलाइंग रुपयार एवं नाली निर्माण कार्य।	महान बड़ी ३३ बजट-II विभ	५,९८६
महान बड़ी ३३ बजट-II विभ महान बड़ी ३३ बजट-II विभ महान बड़ी ३३ बजट-II विभ	८,७३३	वाई स० ११, २०० रुपयार मे गहराइ एवं रुपयार के घर होते हुए जावे एवं घर तक इन्टरलाइंग रुपयार एवं नाली निर्माण कार्य।	वाई स० २१, २०० रुपयार मे गहराइ एवं रुपयार के घर होते हुए जावे एवं घर तक इन्टरलाइंग रुपयार एवं नाली निर्माण कार्य।	११,३१५
महान बड़ी ३३ बजट-II विभ	१५,८७६	वाई स० ०२, २०० रुपयार मे गहराइ एवं रुपयार के घर होते हुए जावे एवं घर तक इन्टरलाइंग रुपयार एवं नाली निर्माण कार्य।	वाई स० ११, २०० रुपयार मे गहराइ एवं रुपयार के घर होते हुए जावे एवं घर तक इन्टरलाइंग रुपयार एवं नाली निर्माण कार्य।	११,३३०
महान बड़ी ३३ बजट-II विभ	११,१९५	वाई स० ०३, २०० रुपयार मे गहराइ एवं रुपयार के घर होते हुए जावे एवं घर तक इन्टरलाइंग रुपयार एवं नाली निर्माण कार्य।	महान बड़ी ३३ बजट-II विभ	१०,६३०
महान बड़ी ३३ बजट-II विभ	१५,६३४	वाई स० ११, २०० रुपयार मे गहराइ एवं रुपयार के घर होते हुए जावे एवं घर तक इन्टरलाइंग रुपयार एवं नाली निर्माण कार्य।	वाई स० ११, २०० रुपयार मे गहराइ एवं रुपयार के घर होते हुए जावे एवं घर तक इन्टरलाइंग रुपयार एवं नाली निर्माण कार्य।	१५,६३५
महान बड़ी ३३ बजट-II विभ	१५,६३५	वाई स० ११, २०० रुपयार मे गहराइ एवं रुपयार के घर होते हुए जावे एवं घर तक इन्टरलाइंग रुपयार एवं नाली निर्माण कार्य।	महान बड़ी ३३ बजट-II विभ	१५,६३५
महान बड़ी ३३ बजट-II विभ	१५,६३५	वाई स० ११, २०० रुपयार मे गहराइ एवं रुपयार के घर होते हुए जावे एवं घर तक इन्टरलाइंग रुपयार एवं नाली निर्माण कार्य।	महान बड़ी ३३ बजट-II विभ	१५,६३५
महान बड़ी ३३ बजट-II विभ	१५,६३५	महान बड़ी ३३ बजट-II विभ	१५,६३५	महान बड़ी ३३ बजट-II विभ



25/3

दस्तावेज़ 2286709
2286710

नव चौताला केन्द्र, 10 अशोक नगर, भवनका 220001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

- 1— उम्रो सरकार के द्वारा पारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अत्यसंलग्न बाहुल्य वरिसाओं तथा मलिन वसितियों में सीली ० रोड अथवा इन्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत ढीली ०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जायें।
- 2— स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3— प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर राज्य स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4— अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्भिलित है जिससे कि शासकीय धन वा दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि ताकाल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित वर्ते।
- 5— स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय व्यायता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6— प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुरिता के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य रामादित कराते हुये किया जाये।
- 7— परिसम्बलितियों के सूचन उपलब्ध नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख—रखाव में कोई प्राप्त उत्तर न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्बलितियों के सूचन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तादाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8— योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपरोक्ता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपरोक्ता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित व्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9— उक्त धनराशि सूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुरार निर्दित मद में व्यय की जायेगी। एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10— 11— 12— प्रश्नगत परियोजना में मुगलान के पूर्व यथानियन केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों वी स्त्रोत पर कठीनी सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों वा अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा। अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी अनुमन्य सन्देश की धनराशि अवमुक्त की जा रही है तथा द्वितीय किश्त की धनराशि है जिसमें अनुमन्य सन्देश की धनराशि एवं द्वितीय किश्त में 20 प्रतिशत की धनराशि रोककर दोष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपरोक्ता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति राहित निर्धारित प्रपत्र पर सूचना अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कर्तव्य करें जिससे रोकी गयी धनराशि को अवमुक्त किया जा सके।

महादीप,

(लाल प्रताप रिंद)
वित्त नियन्त्रक
W

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को यथानार्थ प्रेषित।

- परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
- अधिकारी अधिकार्यन्ता—सूडा
- कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग सूडा।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक
W